BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH, (DELHI)
O.A NO. 309/2024

IN THE MATTER OF: IN RE: NEWS ITEM TITLED "CG NEWS BADEE KARYAVAI RET KE AVAIDH KHANAN VA PARIVAHAN KE MAAMLE MEI 6 CHAIN MOUNTAIN MACHINE SAHIT 57 VAAHAN JABT" APPEARING IN RAIGARH TOP NEWS DATED 16.02.2024.

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Relevant documents/Records filed on behalf of Chhattisgarh Environment Conservation Board	1-51

FILED BY

Place: New Delhi
Filed on: 02.04.2024

ABHINAY SHARMA
ADVOCATES FOR CECB
H-29, FIRST FLOOR, JANGPURA EXTENSION, NEW DELHI-110014
Mob No. 9899272882
E-mail- abhinay@aslpartners.in

क्षेत्रीय कार्यालय
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड नं.–02, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)
ई–मेलः– roceebraipur2014@gmail.com

क्रमांक 1598 क्षेका / तक. / छ.प.सं.मं / 2024 रायपुर दिनांक 28 MAR 2024 / 2024

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

विषय :– Notice of Hearing in Suo Moto Matter in RE : News Item Appearing in Raigarh top news dated 16.02.2024 titled ''CG News बडी कार्यवाई : रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त (OA No. 309/2024)।

संदर्भ :– मंडल मुख्यालय का पत्र पृ. क्रमांक 10056 अटल नगर रायपुर दिनांक 15.03.2024.

––::00::––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त ओ.ए. क्रमांक 309 / 2024 Notice of Hearing in Suo Moto Matter in RE : News Item Appearing in Raigarh top news dated 16.02.2024 titled ''CG News बडी कार्यवाई : रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त'' संबंधित पत्र एवं जानकारी की प्रति संलग्न है। प्रकरण के संबंध में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.04.2024 को Physical hearing (with hybrid option) नियत है। प्रकरण मूलतः खनिज विभाग तथा जिला प्रशासन से संबंधित है। अतः कृपया प्रकरण के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी से इस कार्यालय को अवगत कराने बाबत् संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध है, ताकि बोर्ड के संबंधित अधिवक्ता को जानकारी के साथ उपरोक्त सुनवाई में उपस्थित होने बाबत् समयावधि में सूचित किया जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक क्षेका / तक / छ.प.सं.मं. / 2024 रायपुर दिनांक / / 2024

प्रतिलिपी :– सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH
FARIDKOT HOUSE, COPERNICUS MARG
NEW DELHI- 110001

Date: - 12.03.2024

To,

- Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, Through its Member Secretary, (0771-2512220, hocecb@gmail.com)
- Central Pollution Control Board, Through its Member Secretary, (011-22303655, mscb.cpcb@nic.in)
- District Magistrate, Balodabazar-Bhatapara, (07727-223444, balodabazar.cg@gov.in)

Subject: - Notice of hearing in Suo Motu matter In re: News item appearing in Raigarh Top News dated: 16.02.2024 Titled **"CG News बड़ी कार्रवाई: रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त".**

NOTICE

Take notice that **OA No. 309/2024** (Copy enclosed) Titled **"CG News बड़ी कार्रवाई: रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त"** will be listed before the **Hon'ble Tribunal at Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001 on 03rd April, 2024** through Physical Hearing (With Hybrid Option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, with your report.

Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 12th March, 2024.

Note: (For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)

12/3/24.

(Arvind Kumar)
Deputy Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi

Encl. As Above

National Green Tribunal
New Delhi

छत्तीसगढ़

CG News बड़ी कार्रवाई : रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन माउंटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त

anil rateria · February 16, 2024 · 0 · 1 minute read

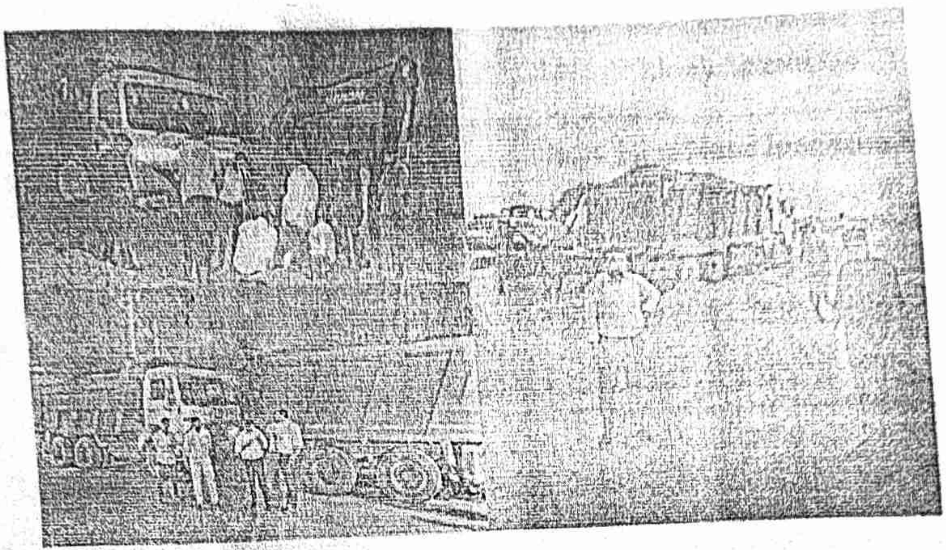

रायपुर, 16 फरवरी 2024/ कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में खनिजों के अवैध खनन एंवं परिवहन में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में बीते 15 फरवरी को जिला खनिज टास्क फोर्स ने कई इलाकों में दबिश देकर रेत के अवैध खनन में लगे चैन माउण्टेड मशीन और वाहन जब्त किए। जिला खनिज टॉस्क फोर्स में राजस्व विभाग, खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे। टॉस्क फोर्स ने रेत, मुरुम, चूनापत्थर के अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलग्न 51 वाहनों और 6 चैन माउण्टेड मशीनों को जब्त किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार बलौदाबाजार ने खनिज रेत के अवैध परिवहन कर रहे 22 वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पलारी तहसील अंतर्गत ग्राम दतान (ख) में रात्रि में रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 2 चैन माउन्टेड मशीन एवं 3 हाईवा को नदी में रेत भराई के दौरान जब्त किया।

इसी प्रकार कसडोल तहसील अंतर्गत ग्राम भदरा में रात्रि में रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 3 चैन माउन्टेड मशीन को तथा ग्राम भदरा एवं सिनोधा में रेत से भरी 8 हाईवा को जब्त कर कसडोल थाने के सुपर्द किया गया है। छापामार कार्रवाई के दौरान तहसीलदार लवन ने रेत से भरी 8 हाईवा, खनिज विभाग की टीम ने 4 हाईवा जब्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ रखा गया है। तहसीलदार टुण्ड्रा एवं भाटापारा के द्वारा 3-3 वाहनों पर अवैध परिवहन का प्रकरण तथा मुरुम के अवैध खनन में प्रयुक्त हो रहे चैन माउण्टेड मशीन जब्त किया गया है। जब्त मशीनों और वाहनों के विरुद्ध खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई की गई है।

कार्यालय कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

–:: ज्ञापन ::–

क्रमांक 230 /अपर कले./वा.1/2024 बलौदाबाजार दिनांक 02/04/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल
न्यू आफिस बिल्डिंग रिंग रोड नं. 02 टाटीबंध रायपुर छ.ग.

विषय :– Notice of Hearing in Suo Moto Matter in RE': News Item Appearing in Raigarh to News dated 16.02.2024 titled 'CG News बड़ी कार्यवाही : रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामले में 6 चैन मांउटेड मशीन सहित 57 वाहन जब्त (OA No. 309/2024)

संदर्भ :– **आपका पत्र क्रमांक 7048/क्षेका/तक./छ.प.सं.मं./2024 रायपुर दिनांक 28.03.2024**

–00–

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसमें विषयांकित के संबंध में जानकारी चाही गई है । तत्संबंध में उप–संचालक (खनि प्रशा) जिला बलौदाबाजार भाटापारा से जानकारी प्राप्त की गई । वांछित जानकारी इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न : यथोक्त ।

2/4/24

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार भाटापारा
अपर कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 230 /अपर कले./वा.1/2024 बलौदाबाजार दिनांक 02/04/2024

प्रतिलिपि

01. सदस्य सचिव, मुख्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।

2/4/24

अपर कलेक्टर
बलौदाबाजार भाटापारा

D:\D.Com\Letter (Autosaved).docx

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) 5

दूरभाष 07727–2222020 Email:- miningbalodabazar@gmail.com, mo-balodabazar@gov.in

क्रमांक 111 /बी 3–20/न.क्र. 17/2023 बलौदाबाजार दिनांक

0 1 APR 2024

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

विषयः– Notice of Hearing in Suo Muto Matter in RE: News Item Appearing in Raigarh to News dated 16-02-2024 titeld 'CG News बड़ी कार्यवाहीः **"रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामलें में 06 चैन माउन्टेड मशीन सहित 57 वाहन जप्त"**(OA No. 309/2024)

संदर्भः– 1. अपर कलेक्टर का ज्ञापन क्रमांक 228/अपर कले./वा.1/2024 बलौदाबाजार दिनांक 01.04.2024।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर का पत्र क्रमांक 7048/क्षेका/तक./छ.प.स.म./2024 रायपुर दिनांक 28.03.2024।

––00––

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके माध्यम से ओ.ए. क्रमांक 309/2024 Notice of hearing in suo muto matter in RE: News Item Appearing in Raigarh to News dated 16-02-2024 titeld CG News बड़ी कार्यवाहीः **"रेत के अवैध खनन व परिवहन के मामलें में 06 चैन माउन्टेड मशीन सहित 57 वाहन जप्त"** पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.04.2024 को Physical Hearing (with hybrid option) के संबंध में खनिज विभाग तथा जिला प्रशासन के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है।

2/ उक्त के संबंध में कार्यालयीन जानकारी निम्नानुसार हैः–

2.1 यह कि जिलें में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय टास्कफोर्स का गठन भी किया गया है। जिसके अंतर्गत राजस्व, पुलिस, वन एवं जिला परिवहन अधिकारी तथा खनिज अधिकारी के द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संयुक्त अथवा विभागीय स्तर पर एकल कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है जिससे कि खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर समुचित रोकथाम किया जा सके।

2.2 यह कि जिलें में नियमित रूप से जिला स्तरीय खनिज टास्कफोर्स का कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में आवश्यकतानुसार त्रैमासिक/मासिक बैठक किया जा रहा है जिसमें भी कलेक्टर के द्वारा जिलें में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण की समुचित रोकथाम हेतु सार्थक रोकथाम हेतु निर्देश जारी होते रहे है।

2.3 राज्य शासन, के द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर समुचित रोकथाम हेतु जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर के निर्देशानुसार दिनांक 15.02.2024 को जिला खनिज टास्कफोर्स के सदस्यों के रूप में राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन पर संयुक्त कार्यवाही की गई।

2.4 उक्त तिथि को खनिज रेत, मुरूम के अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये गये वाहनों/मशीनों पर कार्यवाही की गई।

2.5 कार्यवाही के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिजों के 34 अवैध परिवहन करते हुए तथा खनिज रेत/मुरूम के बिना विधिवत अनुमति व खनिज रियायत स्वीकृति के अवैध उत्खनन के 03 स्थल पर 15 वाहन सहित 06 चैन माउन्टेड मशीन पर कार्यवाही की गई।

02/4/24

Scanned with OKEN Scanner

3/ जिला स्तरीय टास्कफोर्स के सदस्यों के द्वारा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4) के तहत् अवैध उत्खनन/परिवहन के दर्ज किया गया है। जिसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

3.1 अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं तहसीलदार बलौदाबाजार के जांच में 21 वाहनों के द्वारा खनिज रेत का परिवहन करने हेतु अभिवहन पारपत्र नही अथवा वाहनों में भरे खनिज रेत के मात्रा के अनुरूप परिवहन हेतु अभिवहन पारपत्र नही होने के फलस्वरूप अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसमें से 01 वाहन का बिना सूचना के कार्यवाही स्थल से फरार हो जाने के फलस्वरूप वाहन यथास्थिति संबंधित थाना में सुपुर्द नही किये जाने की दशा में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा स्वामी के विरूद्ध दंण्डात्मक कार्यवाही करने व वाहन को राजसात की कार्यवाही करने हेतु जिला परिवहन अधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। **(संलग्नक–1)**

3.2 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार कसडोल एवं खनिज निरीक्षक/उप संचालक (खनि.प्रशा.) के द्वारा ग्राम भदरा में रात्रि में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलग्न 03 चैन माउन्टेड मशीन जप्त किये जाने उपरान्त खनिज विभाग के द्वारा पृथक से जप्ती एवं मशीनों को सीलबंद की कार्यवाही की गई थी। इसी के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ तहसीलदार कसडोल के द्वारा ग्राम भदरा एवं सिनौधा से ही खनिज रेत के भराई के उद्देश्य से खड़े 10 खाली हाईवा को भी जप्त कर थाना कसडोल के सुरक्षार्थ रखा गया था। **(संलग्नक–2)**

3.3 तहसीलदार/नायब तहसीलदार पलारी एवं खनिज निरीक्षक/उप संचालक (खनि. प्रशा.) के द्वारा ग्राम दतान (ख) में रात्रि में खनिज रेत का अवैध उत्खनन में संलग्न 02 चैन माउन्टेड मशीन सहित 03 वाहनों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने के दौरान वाहन छोड़कर भाग जाने के फलस्वरूप जप्त कर निकट में नियमानुसार स्वीकृत रेत खदान के उत्खनिपट्टाधारी को प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्यवाही तक सुपुर्द दिया गया था। **(संलग्नक–2)**

3.4 तहसीलदार लवन के द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलग्न 07 हाईवा जप्त किया जाकर निकटतम थाना लवन में सुरक्षार्थ रखा गया था। **(संलग्नक–3)**

3.5 तहसीलदार, भाटापारा के द्वारा खनिज मुरूम के अवैध उत्खनन में संलग्न 01 चैन माउन्टेड मशीन एवं 01 हाईवा को जप्त किया गया था। **(संलग्नक–4)**

3.6 तहसीलदार, टुण्ड्रा द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 03 ट्रेक्टरों पर प्रकरण दर्ज कर जप्त किया गया था। **(संलग्नक–5)**

3.7 खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान पृथक से 04 वाहनों के द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था। **(संलग्नक–6)**

5/ खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(क) में यह प्रावधान है कि:–

Compounding of offences.

23A. (1) Any offence punishable under this Act or any rule made thereunder may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the person authorised under section 22 to make a complaint to the Court with respect to that offence, on payment to that person, for credit to the Government, of such sum as that person may specify:
Provided that in the case of an offence punishable with fine only, no such sum shall exceed the maximum amount of fine which may be imposed for that offence.
(2) Where an offence is compounded under sub-section (1), no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be released forthwith.

6/ अवैध परिवहन के दर्ज 34 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में वाहनों में भरे खनिज रेत की परिवहन हेतु विधिवत रूप से जारी अभिवहन पारपत्र पाया गया। तथापि परिवहन क्षमता से अधिक रेत का परिवहन किये जा रहें खनिज की मात्रा पर उपर्युक्त खान एवं

Scanned with OKEN Scanner

खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(क) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् समझौता के माध्यम से प्रकरणों का प्रशमन किया गया है। **(संलग्नक–7 (कुल 24 पृष्ट))**

7/ उक्तानुसार अन्य अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों में संलिप्त व्यक्तियों/वाहन मालिकों के द्वारा मय शपथपत्र समझौतानामा प्रस्तुत कर प्रकरणों का समझौता के माध्यम से प्रशमन हेतु किये गये अनुरोध पर खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–23(क) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् प्रकरणों में निर्धारित समझौता राशि की वसूल किया जाकर प्रकरणों का प्रशमन किया गया है। तदुपरान्त प्रकरणों में जप्त वाहन/मशीन मय खनिज मुक्त किया गया है।

8/ जिला स्तरीय टास्कफोर्स के संयुक्त कार्यवाही में जप्त 02 वाहन स्वामियों के द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा से सुपुर्दनामा में प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन पर माननीय न्यायालय के द्वारा अपराधिक प्रकरण 78/2024 एवं 80/2024 दर्ज कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित समझौता राशि का सुपुर्दनामा बधपत्र प्रस्तुत किये जाने एवं समझौता राशि जमा किये जाने के आदेश के परिपालन में आरोपित समझौता राशि की वसूली किया जाकर प्रकरणों का प्रशमन किया गया है। **(संलग्नक–8 (कुल 8 पृष्ट))**

9/ खनिज रेत के 02 एवं खनिज मुरूम के 01 अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों में 12,23,000/– रूपये समझौता राशि तथा खनिज रेत एवं मुरूम के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों में 9,44,600/– समझौता राशि, इस प्रकार कुल 21,06,060/– समझौता राशि की वसूली किया गया है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

01/04/2024

(कुन्दन कुमार बंजारे)
उप–संचालक (खनि प्रशा)
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

पृ. क्रमांक /बी 3–20/न.क्र. 17/2023 बलौदाबाजार दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल टाटीबंद रायपुर जिला रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप–संचालक (खनि प्रशा)
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – 1 (D)

8

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

10

//नोटिस//

क्रमांक/1560/अविअ/वा–3/2024 बलौदाबाजार दिनांक 16.02.2024

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
आवक क्रमांक..6125. दिनांक.16/02/24

प्रभारी अधिकारी प्रभारी लि.

प्रति

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

विषय :– अवैध रेत परिवहन जप्ती वाहन के संबंध मे।

---000---

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार बलौदाबाजार द्वारा दिनांक 15/02/2024 को राजस्व विभाग के टीम के द्वारा तहसील बलौदाबाजार अंतर्गत कुकुरदी बायपास एवं सकरी बायपास पर रेत का अवैध परिवहन करते हुए कुल 21 हाईवा ट्रक को जप्त किया गया एवं मौके पर ही इन हाईवा को पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सुर्पुद किया गया, 21 हाईवा में से 16 हाईवा को बलौदाबाजार स्थित स्टेडियम में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त टीम द्वारा मौके से लाकर सुरक्षित खडा करवाया गया, शेष हाईवा वाहन को उनके ड्राईवर के द्वारा लेकर नदारद हो जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है।

जप्त किये गये हाईवा वाहन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वाहन का प्रकार	वाहन का वाहन संख्या	परिवहन सामग्री	वजन	टिप्पणी
1	हाईवा ट्रक	CG 22 X 3661	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
2	हाईवा ट्रक	CG 10 BN 5500	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
3	हाईवा ट्रक	CG 10 BK 7959	रेत	22 M^3	पुलिस कर्मचारियों को सुर्पुदगी के उपरांत मौके से ड्राईवर हाईवा के साथ नदारद हो गया।
4	हाईवा ट्रक	CG 25 G 5274	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
5	हाईवा ट्रक	CG 28 Q 2972	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
6	हाईवा ट्रक	CG 28 P 7290	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
7	हाईवा ट्रक	CG 28 P 5880	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
8	हाईवा ट्रक	CG 228 J 1997	रेत	22 M^3	पुलिस कर्मचारियों को सुर्पुदगी के उपरांत मौके से ड्राईवर हाईवा के साथ नदारद हो गया था तथा दिनांक 16.02.2024 को नोटिस तामिल होने के उपरांत गाडी को स्टेडियम में लाकर खड़ा किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

9	हाईवा ट्रक	CG 17 KV 5826	रेत	22 M^3	पुलिस कर्मचारियों को सुपुर्दगी के उपरांत मौके से ड्राईवर हाईवा के साथ नदारद हो गया था तथा दिनांक 16.02.2024 को नोटिस तामिल होने के उपरांत गाड़ी को स्टेडियम में लाकर खड़ा किया गया।
10	हाईवा ट्रक	CG 10 BJ 5257	रेत	22 M^3	पुलिस कर्मचारियों को सुपुर्दगी के उपरांत मौके से ड्राईवर हाईवा के साथ नदारद हो गया ।
11	हाईवा ट्रक	CG 04 MA 1417	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
12	हाईवा ट्रक	CG 04 MA 4061	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
13	हाईवा ट्रक	CG 22 Z 9955	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
14	हाईवा ट्रक	CG 28 Q 2721	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
15	हाईवा ट्रक	CG 28 P 3298	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
16	हाईवा ट्रक	CG 25 G 6409	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
17	हाईवा ट्रक	CG 22 P 7790	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
18	हाईवा ट्रक	CG 09 JP 1419	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
19	हाईवा ट्रक	CG 22 P 4564	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।
20	हाईवा ट्रक	CG 25 N 8646	रेत	22 M^3	पुलिस कर्मचारियों को सुर्पुदगी के उपरांत मौके से ड्राईवर हाईवा के साथ नदारद हो गया ।
21	हाईवा ट्रक	CG 09 JQ 9988	रेत	22 M^3	स्टेडियम में खडा करवाया गया।

अतः उपरोक्त संबंध में जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित ।

संलग्न :— मौका पंचनामा / सुर्पुदगीनामा / 12 नग चाबी ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बलौदाबाजार

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

//नोटिस//

क्रमांक /1552/ अविअ / वा–3 / 2024 बलौदाबाजार दिनांक 16.02.2024

प्रति

श्री रजनीश डड़सेना
मकान नं. 150 बाजार पारा
वार्ड नं. 03 मुंगेली
जिला मुंगेली (छ.ग.)
पिन नं. 495334 मो. नं. 8817628871

विषय :– उपस्थित होने बाबत्।

द्वारा :– कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 15.02.2024 को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में अनुविभाग बलौदाबाजार अन्तर्गत राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग वाहन जांच की कार्यवाही की जा रही थी जिस दौरान आपके वाहन क्रमांक सी.जी. 10 बी.जे. 5257 (हाईवा) वाहन में अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पाया गया था। रेत से भरी वाहन को जप्त किया गया था, कुछ समय पश्चात आपके उक्त वाहन के वाहन चालक द्वारा जांच अधिकारी को सूचना दिये बिना वाहन लेकर चले गये। जो कि गौण खनिज अधिनियम एवं परिवहन अधिनियम के विपरित है। क्यों न आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए वाहन राजसात की कार्यवाही की जावे।

उक्त संबंध में वाहन क्रमांक सी.जी. 10 बी.जे. 5257 (हाईवा) को तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के सुपुर्द कर आप अपना जवाब आज दिनांक 16.02.2024 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बलौदाबाजार

पृ. क्रमांक /1552/ अविअ / वा–3 / 2024 बलौदाबाजार दिनांक 16.02.2024

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला परिवहन अधिकारी जिला जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं संबंधित वाहन मालिक को नाटिस तामिल कराया जाकर प्राप्त अभिस्वीकृति नियत तिथि के पूर्व इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
4. थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बलौदाबाजार

0157
प्रभारी अधिकारी
20/2/24

(333) संलग्नक - 11

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कसडोल, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा (छ0ग0)

क्र. /216/ वा. / अ.वि.अ. / 2024 करसडोल दिनांक 17/02/2024

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बलौदाबाजार – भाटापारा (छ0ग0)

जिला ... आवक क्रमांक 6128 ... 15/2/24
प्रभारी अधिकारी

विषय :– अवैध रूप से रेत परिवहन में जप्त ट्रैक्टर एवं हाईवा के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, दिनांक 15/02/2024 को ग्राम भदरा तहसील कसडोल में अवैध रूप से बिना किसी खनिज रॉयल्टी के रेत उत्खनन एवं परिवहन करते महानदी के घाट पर 03 ट्रैक्टर एवं 07 हाईवा वाहन को जप्त कर थाना प्रभारी कसडोल के सुपुर्द में दिया गया है।

अतएव खनिज अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित।

संलग्न :– 11 पन्ने।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कसडोल

Scanned with OKEN Scanner

...ालय तहसीलदार कसडोल, जिला बलौदाबाजार – भाटापारा (छ0ग0)

507/वा./तह./2024 कसडोल दिनांक 16/02/2024

...ते,

अनुविभगीय अधिकारी (रा.)
कसडोल

विषय :– अवैध रूप से रेत परिवहन में जप्त ट्रैक्टर एवं हाईवा के संबंध में

---000---

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 15/02/2024 को ग्राम भदरा तहसील कसडोल में अवैध रूप से बिना किसी खनिज रॉयल्टी के रेत उत्खनन एवं परिवहन करते महानदी के घाट पर 03 ट्रैक्टर एवं 07 हाईवा वाहन अनुविभागीय अधिकारी कसडोल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कसडोल द्वारा जप्त किए गये जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	ट्रैक्टर का नम्बर
1	द्वारिका प्रसाद पिता महादेव	ट्रैक्टर	CG 22 W 9778
2.	मनीराम पिता अघोरी	ट्रैक्टर	CG 22 D 0190
3.	द्वारिका प्रसाद पिता महादेव	ट्रैक्टर	CG 22 R 6701
4.	कृष्णकांत पिता सीताराम	हाईवा	CG 04 NK 1387
5.	कृष्णकांत पिता सीताराम	हाईवा	CG 22 X 4457
6.	कृष्णकांत पिता सीताराम	हाईवा	CG 22 Y 7477
7.	कृष्णकांत अवस्थी पिता सीताराम	हाईवा	CG 22 Y 7377
8.	अजयसिंग पिता भाईराम	हाईवा	CG 28 Q 9988
9.	पुष्पेन्द्र पिता मेसराम	हाईवा	CG 11 BK 6752
10.	सचिन प्रसाद	हाईवा	CG 10 BP 9348

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन पंचनामा संलग्न सहित आपकी ओर खनिज अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
कसडोल

क्र./ 308 /वा./तह./2024 कसडोल दिनांक 16/02/2024

प्रतिलिपि :–

01. कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार – भाटापारा (छ0ग0) महोदय को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

तहसीलदार
कसडोल

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 13

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बी 3–19 / न क्र. 122 / 2024

विषयः– खनिज के अवैध उत्खनन के 02 प्रकरण।

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि श्री भूपेन्द्र भक्त, (खनि निरीक्षक) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 15.02.2024 अनुसार खनिज का अवैध उत्खनन पाये जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का स. 67) की धारा 21 से 23–ख एवं छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत् समझौता राशि प्रस्तावित कर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

क्र.	प्र. क्र.	प्रकरण दिनांक	वाहन नंबर	अवैध उत्खननकर्ता का नाम एवं पता	खनिज	मात्रा	प्रस्तावित अर्थदण्ड / समझौता राशि
01	02	03	05	04	06	07	08
1.	53	15.02.2024	जेसीबी मशीन चेचिस नंबर. HYND63JCE0067705K, HYNDN6351E0004385, XCMZ215, XC4A210BCNKA00031	पवन साहू निवासी सिरियाडीह	रेत	3000 घमी.	रू 715000/– (अक्षरी सात लाख पन्द्रह हजार रू. मात्र)
2.	54	15.02.2024	जेसीबी मशीन चेचिस नंबर. 183/808291400, HYNDN63JCE006770,N633D00225 हाईवा सीजी 28 जे 5647, सीजी 10 बी आर 8430, सीजी 09 जे एन 8333	आलोक कुमार सिंह निवासी दतान	रेत	2100 घमी.	रू 508000/– (अक्षरी पांच लाख आठ हजार रू. मात्र)

अतः एम.एम.डी.आर 1957 के धारा 23 (ए)/छत्तीसगढ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 अंतर्गत शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत कॉलम–08 में प्रस्तावित समझौता राशि जमा करने पर प्रकरण प्रशमन कियो जाने हेतु नस्ती कृपया ~~अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ~~ ।

11/03/2024

उप संचालक (खनि. प्रशा) — लिपिक

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय तहसीलदार लवन जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

//नोटशीट//

विषय– अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाये गये जप्तशुदा वाहन के संबंध में।

प्रस्तुत

तहसील कार्यालय लवन जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) अन्तर्गत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) 1957 की नियम 21(4)/छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 की नियम – 4(3)/छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की नियम–71(2) उल्लंघन कर खनिज अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाया गया है। जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार–भाटापारा छ.ग. क्रमांक/क्यू 2/ख.नि./ कैम्प दिनांक 15.02.2024 के अग्रिम आदेश पर्यन्त वाहन पुलिस बेरियर अभिरक्षा में रखा गया है वाहन ट्रक/हाईवा/ट्रेक्टर निम्नानुसार हैः–

क्र.	गाड़ी का प्रकार	वाहन क्र.	खनिज का नाम	अनुमानित वनज	जप्ति का स्थान
01	हाईवा	CG 22 X 8410	रेत	28 घन मी.	पुलिस थाना लवन
02	–	CG 22 Y 6043	–	–	–
03	–	CG 28 N 9584	–	–	–
04	–	CG 22 X 3674	–	–	–
05	–	CG 22 W 7790	–	–	–
06	–	CG 22 Y 7790	–	–	–
07	–	CG 04PH4306	–	–	–

अतः जप्त किये गये खनिज मय वाहन की जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

अ.वि.अ.(रा.) महोदय
बलौदाबाजार

Nisha
नायब तहसीलदार
लवन

Nemuata
19/02/2024
Collector Sir

[illegible]

संलग्नक - 15

कार्यालय तहसीलदार भाटापारा जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्र. 373 /वा./तह./2024 भाटापारा, दिनांक 21.02.2024

प्रति,

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
बलौदाबाजार–भाटापारा (रा.)

विषय:– जिला बलौदाबाजार–भाटापारा तहसील भाटापारा के ग्राम मोपका के निजी भूमि खसरा नंबर 146/1 रकबा 0.285 हे0 क्षेत्र पर अवैध रूप से खनिज मुरूम उत्खनन क्षेत्र का औचक स्थल निरीक्षण कर तथा उत्खनन में प्रयुक्त वाहन की जप्तीनामा व सुपुर्दगीनामा के संबंध में प्रतिवदेन प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ:– माननीय कलेक्टर महोदय बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के निर्देश दिनांक 15/02/2024

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख है कि जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के ग्राम मोपका प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील भाटापारा के तुलाराम पिता साखाराम जाति तेली के निजी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 146/1 रकवा 0.255 हे0 क्षेत्र पर अवैध रूप से खनिज मुरूम उत्खनन क्षेत्र का औचक स्थल निरीक्षण कर तथा उत्खनन में प्रयुक्त वाहन की जप्तीनामा व सुपुर्दगीनामा के संबंध में जानकारी कंडिकावार निम्नानुसार है।

1. यह कि संदर्भित निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा तहसीलदार भाटापारा राजस्व निरीक्षक भाटापारा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 16/02/2024 को ग्राम मोपका प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील भाटापारा के तुलाराम पिता साखाराम जाति तेली के निजी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 146/1 रकबा 0.255 हे0 क्षेत्र का औचक स्थल निरीक्षण कर तथा उत्खनन में प्रयुक्त वाहन चेन माउन्टेन वाहन क्रमांक EC210B Volvo (5) को अवैध उत्खनन क्षेत्र खसरा नंबर 146/1 में चैन माउन्टीन वाहन का आपरेटर **राजूकुमार** पिता **इंदेशप्रसाद** से तथा अवैध उत्खनन मुरुम का परिवहन में प्रयुक्त वाहन क्रमांक ... 14 AR 5190 को ग्राम मोपका के शासकीय भूमि खसरा नंबर 77/1 में निर्मित नवा तालाब में मौके पर से बरामद कर उक्त दोनों वाहनों के आपरेटर **राजूकुमार पिता इंदेशप्रसाद, राजूकुमार पिता इंदेशप्रसाद** तथा चालक शंकरसिंह पिता अभिराज सिंह से अवैध उत्खनन व परिवहन में संलग्न व्यक्तियों की तथा पुलिस चौकी निपनिया के स्टाफ की उपस्थिति में तहसीलदार भाटापारा द्वारा जप्त कर जप्तीनामा बनाया गया व वाहनों के यथास्थिति में पुलिस चौकी निपनिया में पुलिस चौकी निपनिया के प्रभारी सुपुर्दगीनामा में दिनांक 16/02/2024 को रात्रि 9.55 PM बजे सुपुर्दगी में दिया गया ।

अत: उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:–
1. जप्तीनामा की कापी
2. सुपुर्दगीनामा की कापी
3. शपथपूर्वक कथन
4. पंचनामा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)
आवक क्रमांक 6231 दिनांक 22/2/24
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी लि.

22.2.24
तहसीलदार
भाटापारा(छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -5 (16)

राजस्व अनुवृत्ति

ऑन.प्र.क्र.202402213900032/अ-67/2023-24

(1)	(2)	(3)
/03/2024	–प्रकरण तहसीलदार दुण्डरा से दिनांक 22.02.2024 को प्राप्त। –तहसीलदार दुण्डरा के आदेश पत्रिका दिनांक 21.02.2024 अनुसार अवैध रूप से वाहन चालक गोपाल पिता मोतीलाल केंवट निवासी नवापारा द्वारा बिना किसी रायल्टी के रेत उत्खनन एवं परिवहन करते जोंक नदी के घाट पर ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी. 04 एम. एच. 2835 को जप्त किये गये। वाहन मालिक शिवान्शु पिता मोतीलाल केंवट निवासी नवापारा का है। जिसे जप्त कर थाना दुण्डरा के सुपूर्द में दिया गया है। प्रकरण में जप्तीनामा, पंचनामा संलग्न है। अतएव छ. ग. भू-राजस्व की धारा 247 (7) अन्तर्गत खनिज अधिनियम के तहत वाहन मालिक के विरूध्द अनुशात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर प्रेषित। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कसडोल	

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न-5(17

राजस्व अनुवृत्ति

ऑन.प्र.क्र.202402213900034/अ–67/2023–24

(1)	(2)	(3)
/03/2024	–प्रकरण तहसीलदार दुण्डरा से दिनांक 22.02.2024 को प्राप्त। –तहसीलदार दुण्डरा के आदेश पत्रिका दिनांक 21.02.2024 अनुसार अवैध रूप से वाहन चालक देवप्रसाद द्वारा बिना किसी रायल्टी के रेत उत्खनन एवं परिवहन करते जोंक नदी के घाट पर ट्रेक्टर क्रमांक सी.जी. 04 एल. जी. 1760 को जप्त किये गये। वाहन मालिक प्रहलाद पिता मोहित राम साकिन दुण्डरा का है। जिसे जप्त कर थाना दुण्डरा के सुपूर्द में दिया गया है। प्रकरण में जप्तीनामा, पंचनामा संलग्न है। अतएव छ.ग. भू–राजस्व की धारा 247 (7) अन्तर्गत खनिज अधिनियम के तहत वाहन मालिक के विरूध्द अनुशात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की ओर प्रेषित। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कसडोल	

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक -5 (18

राजस्व अनुवृत्ति

ऑन.प्र.क्र.202402213900033 / अ–67 / 2023–24

(1)	(2)	(3)
)3 / 2024	–प्रकरण तहसीलदार दुण्डरा से दिनांक 22.02.2024 को प्राप्त। –तहसीलदार दुण्डरा के आदेश पत्रिका दिनांक 21.02.2024 अनुसार अवैध रूप से वाहन चालक अमन पिता रमेशर रात्रे निवासी नवापारा द्वारा बिना किसी रायल्टी के रेत उत्खनन एवं परिवहन करते जोंक नदी के घाट पर ट्रेक्टर वाहन क्रमांक सोल्ड को जप्त किये गये। वाहन मालिक सत्येन्द्र महिपाल पिता धनजी महिपाल निवासी नवापारा का है। जिसे जप्त कर थाना दुण्डरा के सुपूर्द में दिया गया है। प्रकरण में जप्तीनामा, पंचनामा संलग्न है। अतएव छ.ग. भू–राजस्व की धारा 247 (7) अन्तर्गत खनिज अधिनियम के तहत वाहन मालिक के विरूध्द अनुशात्मक कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा की ओर प्रेषित। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कसडोल	

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग.

क्रमांक 9 /ख.नि./ कैम्प दिनांकः– 15/02/2024

प्रति,

थाना प्रभारी महोदय
थाना लवन
जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

विषयः– जप्त खनिज मय वाहन अभिरक्षण में रखने बाबत्.

––0––

विषयान्तर्गत वाहन ट्रक/हाईवा/ट्रेक्टर नम्बंर .... की जांच की गई। खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) 1957 की नियम 21(4)/छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 की नियम–4(3)/छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की नियम–71(2) उल्लंघन कर खनिज अवैध उत्खनन/परिवहन करते पाया गया है। कृपया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के अग्रिम आदेश पर्यन्त निम्नानुसार वाहन पुलिस बेरियर अभिरक्षा में रखने का कष्ट करें।

क्रमांक	ट्रक/ ~~ट्रेक्टर~~ हाईवा नम्बर	वाहन चालक/ मालिक का नाम	खनिज	खनिज की मात्रा
1	CG 04 LX 4716	उमेश कुमार S/o सुखनलाल (ग्राम) निवासी सुहेला	रेत	
2	CG 22X/7336	पारसमणी S/o संतराम बजारे निवासी दुरगा	–"–	
3	CG 22X 6094	राजेश S/o रामजी भारद्वाज निवासी सुहेला	–"–	
4	CG 22X 3660	रूपलाल S/o आंहानदास [illegible] निवासी [illegible]	–"–	
5				
6				
7				

(पुलिस थाना [illegible] जिला बलौदाबाजार - भाटापारा (छ.ग.) मुहर, क्र. 121)

उप–संचालक (खनि. प्रशा.)/
सहायक खनि अधिकारी/
खनि निरीक्षक/खनिज बैरियर प्रभारी
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner

प्ररूप - 1

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए)

5595289

पुस्तक क्र. ....

(दैनिक ...)

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम टीकम चंद साहू

अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण रेत खदान

ग्राम/तहसील/जिला : ग्राम पंचा.दतान (ख), तहसील पलारी

रकबा : जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

अवधि : खसरा क्र.1190 रकबा-4.90 हेक्टेयर

खनिज का नाम : उत्खनन क्षमता - 67500 घन मीटर / अवधि-25/2/2021 से 24/2/2024

2. परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....

साईज (लम्प/फाईन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) : ....

3. परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा .... (टन/घन मीटर)

वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....

वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

4. खनिज का विक्रय मूल्य : .... (रुपये प्रति टन/घन मीटर)

5. खनिज प्रेषण का दिनांक : ....

खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : .... PM

6. वाहन पंजीयन क्रमांक : ....

वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य) ....

7. ²[वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

²[वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

8. खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ....

डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....

9. खनिज गंतव्य स्थल : ....

1........ 2........ 3........

10. अन्य विवरण : ....

जारीकर्ता प्रति

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्तियाँ -

1. समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) बलौदाबाजार
भाटापारा (छ.ग.)

उप संचालक (खनि.प्रशा.)

17 JAN 2024

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास 5591334

(खनिज रियायत धारकों के लिए)

24

7/22

पुस्तक क्र. 559044 पास क्र.

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : ....
अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : ....
ग्राम/तहसील/जिला : ....
रकबा : ....(हेक्टेयर)
अवधि : ....../....../...... से ....../....../......
खनिज का नाम : ....

2. परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....
साईज (लम्प/फाईन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) : ....

3. परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा ....(टन/घन मीटर)
वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....
वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

4. खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रुपये प्रति टन/घन मीटर)
खनिज प्रेषण का दिनांक : 15/2/2024
खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : 2:20 PM

वाहन पंजीयन क्रमांक : ....
वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य) ....

7. [2] [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....
[2] [वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

8. खनिज क्रेता/प्रातकर्ता का नाम : ....
डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....

9. खनिज गंतव्य स्थल : .... व्हाया
1.......... 2.......... 3..........

10. अन्य विवरण : ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

ड्रायवर प्रति

Valid For Vehicle Capacity Only

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्तियाँ -

1. समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, नीले रंग वाले प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुपाठ्य होना चाहिये।

2. अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

3. उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

4. खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

5. उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

[illegible]

उप संचालक (खनि.प्रशा.)

17 JAN 2021

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN Scanner

24/3

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास 5594335

(खनिज रियायत धारकों के लिए)

पुस्तक क्र. 55911 पास क्र.

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : ....

अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : ....

ग्राम/तहसील/जिला : ....

रकबा : ....(हेक्टेयर)

अवधि : ..../............/........... से ..../............/............

खनिज का नाम : ....

परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....

साईज (लम्प/फाइन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) : ....

परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा ....(टन/घन मीटर)

वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....

वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रुपये प्रति टन/घन मीटर)

5. खनिज प्रेषण का दिनांक : 15/2/2024

खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : 2:41 PM

6. वाहन पंजीयन क्रमांक : CG 22 X 6695

वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य)..

7. [2] [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

[2] [वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

8. खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ....

डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....

9. खनिज गंतव्य स्थल : ....व्हाया

1..............................2..............................3..............................

10. अन्य विवरण : ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

Valid For Vehicle Capacity Only

ड्रायवर प्रति

Scanned with OKEN Scanner

1. समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

2. अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

4. खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

उप संचालक (ख.नि.प्रशा.)

7 JAN 2024

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN Scanner

7 | 8

प्ररूप-1

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए)

पुस्तक क्र. SC ... देखिए कंडिका-8 पास क्र. 5572346

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Valid For Vehicle Capacity Only

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : ...
   अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : ...
   ग्राम/तहसील/जिला : ...
   रकबा : ...(हेक्टेयर)
   अवधि : .../.../...
   खनिज का नाम : ...

   जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)
   खसरा क्र. 1190 रकबा 4.000 हे.
   अनु अवधि 25/2/2021 से .../2/20...

2. परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ...
   साईज (लम्प/फाईन्स/स्टोन/स्लैक/अन्य) : ...
3. परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा ... घनमीटर
   वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ...
   वाहन का टेयर वेट (टन में) : ...
4. खनिज का विक्रय मूल्य : ...(रुपये प्रति टन/घन मीटर)
5. खनिज प्रेषण का दिनांक : 15.02.2021
   खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M.) : 5.45
6. वाहन पंजीयन क्रमांक : ...
   वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य)...
7. [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ...
   [वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ...
8. खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ...
   डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ...
9. खनिज गंतव्य स्थल : ...व्हाया
   1.......2.......3.......
10. अन्य विवरण : ...

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्तियाँ -

1. समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

. अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

खण्ड 9 के अंतर्गत व्हावा के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

उप संचालक (खनि.प्रशा.)

UN 2023

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN Scanner

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए) 5595284

पुस्तक क्र. 55953

प्ररूप - (क्र.) क्र.

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : टीकम चंद साहू
   अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : रेत खदान
   ग्राम/तहसील/जिला : ग्राम पंचायत (ख), तहसील पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)
   रकबा : खसरा क्र. 1100, रकबा -4.90 हेक्टेयर
   अवधि : ..../.........
   खनिज का नाम : उत्पादन क्षमता - 67500 घन मीटर
2. परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : अवधि-25/2/2021 से 24/2/2024
   साईज (लम्प/फाईन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) : ....
3. परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा : .... (टन/घन मीटर)
   वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....
   वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....
4. खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रुपये प्रति टन/घन मीटर)
5. खनिज प्रेषण का दिनांक : 15/2/2024
   खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : 7:30 pm
6. वाहन पंजीयन क्रमांक : CG 22 L 7790
   वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य) : ट्रैक्टर
7. [2] [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....
   [2] [वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....
8. खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ....
   डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....
9. खनिज गंतव्य स्थल : .... व्हाया
   1..................2..................3..................
10. अन्य विवरण : ....

आरक्षक छुल्ल चौहान — ट्रांसपोर्टर प्रति

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

1. समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

2. अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

3. उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

4. खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में दरम्यान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

5. उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जावेगा तथा दण्डनीय होगा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज)

उप संचालक (खनि.प्रशा.)

17 JAN 2024

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

7/8

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायतधारकों के लिए) 5572344

(देखिए कंडिका--8)

पुस्तक क्र. पास क्र.

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Valid For Vehicle Capacity Only

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : ....

अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : ....

ग्राम/तहसील/जिला : ....

रकबा : ....(हेक्टेयर)

अवधि : ..../............ से ..../............

खनिज का नाम : ....

जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.) खसरा क्र. 190 रकबा 4.900 हे. अनु अवधि 25/2/2021 से 24/2/24 तक

परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....

साईज (लम्प/फाईन्स/स्टोन/स्लैक/अन्य) : ....

परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा ....(टन/घन मीटर) घन मीटर

वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....

वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

4. खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रुपये प्रति टन/घन मीटर)

5. खनिज प्रेषण का दिनांक : 15 ... 20 ... 11

खनिज प्रेषण का समय (A.M./PM) : 5:35

6. वाहन पंजीयन क्रमांक : ....

वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य)..

7. [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

[वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

8. खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ....

डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....

9. खनिज गंतव्य स्थल : .... व्हाया

1........................ 2........................ 3........................

10. अन्य विवरण : ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्तियाँ -

1. समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

2. अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाि

3. उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

4. खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में वर्तमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

5. उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जावेगा तथा दण्डनीय होगा।

...बाजार

उप संचालक (खनि.प्रशा.)

7 JUN 2023

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN Scanne

#8(2)
7/7(1)

प्ररूप-10

[नियम 14 (तीन) देखिये]

रायल्टी पेड अभिवहन पास

पुस्तक क्र. 17516 पास क्र. 1751509

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता ... . रियाज अहमद सिद्दीकी

2. अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ............ .... खनिज- रेत

3. खनिज (खनिजों)/उत्पादकों का नाम .... ग्राम- जोंधरा

4. भेजने वाले का नाम .... खसरा नं.- 863, 15.02.2024

5. भण्डारण स्थल से प्रेषण की तारीख तथा समय ..रकबा- 0.9510 हेक्टेयर....... 4:40 PM
(अनुज्ञप्ति में उल्लिखित अनुसार) (अंको तथा शब्दों में) 25/06/2021 से 24/06/2026 तक

6. प्रेषण का गंतव्य स्थान ....

7. गंतव्य स्थल पहुंचने के पूर्व आने वाले मुख्य शहरों का नाम (1) ....

(2) ....(3) ....

8. खनिज की मात्रा ....6(टन/घनमीटर में) (अंको तथा शब्दों में)

9. [1] [खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम/डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो)] ....

10. वाहन (केरियर) के स्वामी का नाम ....

वाहन (केरियर) क्रमांक ....CG 22 X 3661.............................

Royalty Paid for

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित	वाहन के चालक का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्तियां -

1. समस्त प्रविष्टियां किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा सुवाच्य होनी चाहिए।

2. दूसरी प्रति वाहक के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए।

3. अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, दिनांक, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा।

4. गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में गंतव्य स्थल के पूर्व पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखा जाना आवश्यक है। निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध खनिज परिवहन के श्रेणी में आयेगा।

5. वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभिवहन पास जारी किया जाना चाहिए।

कार्यालय कलेक्टर
प्रतिलिपि शाखा
25 MAY 2022
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-159-1/2021-20,000 बुक्स (100 dup.lvs.)

Scanned with OKEN Scanner

34

~~7/8(2)~~ 7/7(2)

प्ररूप-10

[नियम 14 (तीन) देखिये]

रायल्टी पेड अभिवहन पास

पुस्तक क्र. 17516 पास क्र. 1751510

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता ...

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ... ...

खनिज (खनिजों)/उत्पादकों का नाम ... रियाज अहमद सिद्दीकी

भेजने वाले का नाम ... खनिज- रेत

ग्राम जोंधरा

खसरा नं.- 363 15-02-2021

भण्डारण स्थल से प्रेषण की तारीख तथा समय रकबा- 0.0510 हेक्टेयर ... 4.40 PM

(अनुज्ञप्ति में उल्लिखित अनुसार) (अंकों तथा शब्दों में) अवधि 25/06/2021 से 24/06/2026 तक

प्रेषण का गंतव्य स्थान ... बिलासपुर

गंतव्य स्थल पहुंचने के पूर्व आने वाले मुख्य शहरों का नाम (1) ...

(2) ... (3) ...

खनिज की मात्रा ... 6 ... टन/घनमीटर में) (अंको तथा शब्दों में)

[1] [खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम/डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो)] ...

वाहन (केरियर) के स्वामी का नाम ... नागेश्वर देवांगन

वाहन (केरियर) क्रमांक ... CG 22 X 3661

Royalty Paid for Sixth ... रॉयल्टी ... हेतु

...त पास जारी करने ...क्ति का नाम ...ाक्षर दिनांक सहित	वाहन के चालक का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्तियां -

अभियुक्ति ..

1. समस्त प्रविष्टियाँ किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा स्पष्ट सुवाच्य होनी चाहिए।

2. दूसरी प्रति वाहक के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए।

3. अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, दिनांक, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा।

4. गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में गंतव्य स्थल के पूर्व पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखा जाना आवश्यक है। निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध खनिज परिवहन के श्रेणी में आयेगा।

5. वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभिवहन पास जारी किया जाना चाहिए।

कार्यालय कलेक्टर
25 MAY 2022
खनिज शाखा
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-1351/2021-20,000 बुक्स (100.dub.lys.)

36
7/7(3)

प्ररूप-10

[नियम 14 (तीन) देखिये]

रायल्टी पेड अभिवहन पास

क्र. 17516 पास क्र. 1751511

अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता ... .

अनुज्ञप्ति की विशिष्टियाँ............ ....

खनिज (खनिजों)/उत्पादकों का नाम ....

भेजने वाले का नाम .... रियाज अहमद सिद्दीकी खनिज- रेत ग्राम जोंधरा खसरा नं.- 863 रकबा- 0.9510 हेक्टेयर अवधि- 25/06/2021 से 24/06/2026 तक

भण्डारण स्थल से प्रेषण की तारीख तथा समय .... 15.02.2024 4:40 PM
(अनुज्ञप्ति में उल्लिखित अनुसार) (अंको तथा शब्दों में)

प्रेषण का गंतव्य स्थान ....बिलासपुर..............................

गंतव्य स्थल पहुंचने के पूर्व आने वाले मुख्य शहरों का नाम (1) ....

(2) ....(3) ....

खनिज की मात्रा ....6 (टन/घनमीटर में) (अंको तथा शब्दों में)

[1] [खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम/डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो)] ....

वाहन (केरियर) के स्वामी का नाम ....

वाहन (केरियर) क्रमांक ....CG 22 X 3661..................

Royalty paid for Six Cu.m.

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम हस्ताक्षर दिनांक सहित	वाहन के चालक का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर दिनांक सहित

Scanned with OKEN Scanner

पां

यक्तियां

समस्त प्रविष्टियाँ किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना होनी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होनी चाहिए।

दूसरी प्रति वाहक के चालक को दी जानी चाहिए और मूल प्रति अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जानी चाहिए।

अभिवहन पास पुस्तिका में अभिलेख, दिनांक, समय एवं मात्रा का लोप तथा उपरिलेखन करना दण्डनीय होगा।

गंतव्य स्थान के लिए एक से अधिक मार्ग होने की स्थिति में गंतव्य स्थल के पूर्व पड़ने वाले प्रमुख शहरों के नाम लिखा जाना आवश्यक है। निर्धारित मार्ग के अलावा किया गया परिवहन अवैध खनिज परिवहन के श्रेणी में आयेगा।

वाहक के प्रत्येक फेरे (ट्रिप) हेतु नवीन अभिवहन पास जारी किया जाना चाहिए।

25 MAR 2022

...135-1/2021-20,000 पुस्तिका (100 dup.)

~~संलग्न क्र.-18~~ 38

~~संलग्न - 18~~

संलग्न - 18

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए) 5595285

क्र. 55953

प्रारूप - एक पास क्र.

(देखिए कंडिका)

टीप : प्रारूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : टीकाराम साहू

अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : रेत खदान

ग्राम/तहसील/जिला : ग्राम ...(छ.ग.) तहसील पलारी

रकबा : जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

अवधि : खसरा क्र. 1190, रकबा-4.90 हेक्टेयर

खनिज का नाम : उत्खनन क्षमता - 67500 घन मीटर

अव.धि-25/2/2021 से 24/2/2024

परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....

साईज (लम्प/फाईन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) : ....

परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा : बारह घन (टन/घन मीटर)

वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....

वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रुपये प्रति टन/घन मीटर)

खनिज प्रेषण का दिनांक : 15/10/2024

खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : 8 बजे

वाहन पंजीयन क्रमांक : C.G. 22 / 7790

वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य) : हाईवा

[वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

[वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : अकरम ...

खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ....

डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....

खनिज गंतव्य स्थल : ...... कसडोल ...... व्हाया

....................2....................3....................

अन्य विवरण : ....

Valid For Vehicle Once Only

डुप्लीकेट प्रति

न पास जारी करने वाले का नाम	वाहन ~~चालक~~ का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित
(हस्ताक्षर)	12-5	

Scanned with OKEN Scanner

समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में क्रमान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जाये।

उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) बलौदाबाजार

उप संचालक (खनि.प्रशा.)

17 JAN 2024

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN S

सेलगन्ठ 40 189

प्ररूप-1

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए)

पुस्तक क्र. ८८७२५ मात्र - ५०. पृष्ठ क्र. 72341

(देखिए कंडिका-8)

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Valid For Vehicle Capacity Only

1. अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : टीकम चंद साहू
अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : रेत खदान
ग्राम/तहसील/जिला : ग्राम पंचा.दतान प.ह.नं. 9
रकबा : (हेक्टेयर)
अवधि : ....../....../...... जिला बलौदाबाजार भाटापारा (छ.ग.)
खनिज का नाम : खसरा क. 1190, रकबा 4.900 हे. अवधि 25/2/2021 ...24
2. परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी :
साईज (लम्प/फाईन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) :
3. परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा .... (टन/घन मीटर) पन्द्रह घन मीटर
वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) :
वाहन का टेयर वेट (टन में) :
4. खनिज का विक्रय मूल्य : .... (रुपये प्रति टन/घन मीटर)
5. खनिज प्रेषण का दिनांक : 1/10/2024
खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : 4.5
6. वाहन पंजीयन क्रमांक : CG 25 CA 6409
वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य) :
7. [2] [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : [illegible]
[2] [वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] :
8. खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : पुरन अग्रवाल
डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : [illegible]
9. खनिज गंतव्य स्थल : .... व्हाया
1. [illegible] 2. .... 3. ....
10. अन्य विवरण :

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित
[signature]	[signature]	

Scanned with OKEN Scanner

याँ -

समस्त प्रविष्टियाँ, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

परोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक ो दी जाये एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

ण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में ्मान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जावे।

रोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया येगा तथा दण्डनीय होगा।

बलौदाबाजार
(खनि.प्रशा.)

JUN 2023

मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक - 7/10

प्ररूप-1

[नियम 4 (1) देखिये]

खनिज अभिवहन पास

(खनिज रियायत धारकों के लिए) 5572340

पुस्तक क्र.

(देखिए कंडिका-6)

पास क्र.

टीप : प्ररूप भरने के पूर्व, पीछे अंकित अभियुक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अनुज्ञप्ति/पट्टेधारी का नाम : ....

अनुज्ञप्ति/खान क्षेत्र का विवरण : ....

ग्राम/तहसील/जिला : ....

रकबा : ....(हेक्टेयर)

अवधि : ..../............/............

खनिज का नाम : ....

जिला बलौदाबाजार से भाटापारा (छ.ग.)
खसरा क 1190 रकबा 4.900 हे
अनु अवधि 25/2... 1/2/24 तक

परिवहन किये जा रहे खनिज की श्रेणी : ....

साईज (लम्प/फाईन्स/स्टीम/स्लैक/अन्य) : ....

परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा : पन्द्रह घन मीटर

वाहन का ग्रॉस वेट (टन में) : ....

वाहन का टेयर वेट (टन में) : ....

खनिज का विक्रय मूल्य : ....(रुपये प्रति टन/घन मीटर)

खनिज प्रेषण का दिनांक : 15/02/24

खनिज प्रेषण का समय (A.M./P.M) : 5:20

वाहन पंजीयन क्रमांक : CG 04 PH 4306

वाहन का प्रकार (ट्रेलर/हाईवा/ट्रक/ट्रेक्टर/अन्य) ....

[2] [वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

[2] [वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर] : ....

खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम : ....

डी. ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो) : ....

खनिज गंतव्य स्थल : रायपुर ...व्हाया

1..............................2..............................3..............................

अन्य विवरण : ....

अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम	वाहन चालक का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित	जाँचकर्ता का नाम तथा हस्ताक्षर तारीख सहित
[signature]	[signature]	

Scanned with OKEN Scanner

यॉं -

समस्त प्रविष्टियॉं, किसी भी प्रकार के उपरिलेखन के बिना, केवल बाल प्वाइंट पेन से भरा जाना चाहिए तथा स्पष्ट रूप से सुवाच्य होना चाहिये।

अभिवहन पास के द्वितीय प्रति हेतु, दोनों तरफ कार्बन पेपर का उपयोग किया जाना चाहिये।

उपरोक्त उल्लिखित अनुसार आवश्यक प्रविष्टियों के पश्चात्, द्वितीय प्रति, वाहन के चालक को दी जावे एवं मूल प्रति, अभिवहन पास पुस्तिका में रखी जाये।

खण्ड 9 के अंतर्गत व्हाया के संबंध में, खान से गंतव्य स्थल तक निर्धारित परिवहन मार्ग में दरम्यान में स्थित तीन प्रमुख स्थानों के नाम का उल्लेख किया जावे।

उपरोक्त किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का, अवैध खनिज परिवहन के रूप में अर्थ लगाया जायेगा तथा दण्डनीय होगा।

कलेक्टर ... बलौदाबाजार
(...)
उप संचालक (खनि.प्रशा.)

07 JUN 2023

शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव-107-1/2021-1,50,000 (100 dup. lvs.)

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक – 8/1 44

न्यायालय– अजय कुमार खाखा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार

जिला– बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

Criminal Case No.-78/2024

संजू ठाकुर पिता केजू ठाकुर, उम्र 20 वर्ष,
निवासी– वार्ड नंबर 16 हथनीकला, थाना मुंगेली,
जिला– मुंगेली, छ०ग० ....**आवेदक/सुपुर्ददार**

//विरूद्ध//

छ०ग० शासन,

द्वारा–

खनिज निरीक्षक,
कार्यालय– बलौदाबाजार,
जिला– बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग० ....**अनावेदक**

// सुपुर्दनामा आदेश की सत्यप्रतिलिपि//

01.03.2024 आवेदक/सुपुर्ददार संजू ठाकुर सहित श्रीमती लीना साहू अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी, दस्तावेज प्रस्तुति एवं सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क/आदेश हेतु नियत है।

आवेदक द्वारा सुपुर्दनामा में चाही गई वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 28 Q 9988 का मूल आर.सी. बुक, बीमा पत्रक एवं परमीट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग० से जांच कार्यवाही के दस्तावेज मय प्रतिवेदन पेश किया गया।

सुपुर्दनामा आवेदन में आवेदक /सुपुर्ददार ने इस आशय का आवेदन पेश किया गया है कि खनिज निरीक्षक बलौदाबाजार के द्वारा धारा 21 से 23-ख एवं छ०ग० गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के

Scanned with OKEN Scanner

तहत् उसके स्वामित्व की वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 28 Q 9988 को जप्त किया गया है। यह कि उक्त वाहन उसके व्यवसायिक उपयोग की वाहन है जिसके थाना में खड़े रहने से उसके कलपूर्जों में जंग लगने से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने पर वह उसके स्वरूप पर कोई परिवर्तन नहीं करेगा। आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि उसने अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को लोन से प्राप्त किया है। वह न्यायालय के शर्तों के अधीन उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर लेना चाहता है। अतः उसे उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से खनिज अधिकारी के द्वारा जांच कार्यवाही के दस्तावेज सहित प्रतिवेदन पेश करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक के द्वारा उक्त वाहन से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान आवेदक के वाहन को पकड़कर थाना कसडोल में सुरक्षार्थ रखा गया है। उसके उपरांत आवेदक के वाहन के विरूद्ध खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 से 23 (ख) के तहत् कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को अभिरक्षा में रखा गया है। कार्यवाही के दौरान आवेदक ने खनिज अधिकारी के समक्ष राजीनामा आवेदन पेश किया है। जिस पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर जप्त वाहन को छोड़ा जा सकता है। किन्तु कथित राजीनामा पेश किये जाने के बाद भी खनिज अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर यह सुपुर्दनामा आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उपरोक्त आधार पर जप्त वाहन हाईवा ट्रक को सुपुर्दनामे पर नहीं दिये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/आरोपी के विरूद्ध वाहन हाईवा ट्रक से अवैध खनिज रेत के परिवहन का आरोप है। अपराध में प्रयोग की गई वाहन हाईवा ट्रक मूल्यवान संपत्ति है। जिसे दिनांक 15.02.2024 से जप्त कर असुरक्षित हालत में थाना कसडोल परिसर में रखा गया है। मशीनरी संपत्ति होने से

Scanned with OKEN Scanner

यह स्वभाविक है कि बिना देखरेख मशीन के कलपुर्जों में खराबी आयेगी। जिससे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति होगी। यद्यपि अपराध में उक्त वाहन का प्रयोग किया गया है। पर मात्र इसी आधार पर संपत्ति के सुपुर्दनामे से इंकार किया जाना उचित नहीं है। खनिज विभाग को आवेदक/आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करना चाहिए। जिसके बाद सुनवाई उपरांत ऐसी वाहन के राजसात किये जाने पर विचार किया जायेगा। मामले की सुनवाई में विलंब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जप्त संपत्ति को देखरेख के लिए शर्तों के अधीन उसके स्वामी के सुपुर्द किया जाना उचित होगा।

आवेदक द्वारा पेश आर०सी० बुक के अवलोकन से दर्शित है कि हाईवा ट्रक क्रमांक CG 28 Q 9988 आवेदक संजू ठाकुर पिता केजूराम ठाकुर, निवासी- वार्ड नंबर 16 हथनीकला, मुंगेली धरमपुरा, मुंगेली, छ०ग० 495334 के नाम पर पंजीकृत है। जिससे आवेदक संजू ठाकुर प्रथम दृष्टया उक्त वाहन को पंजीकृत स्वामी होना स्पष्ट है। सुपुर्दनामा में चाही गई वाहन से संबंधित बीमा पत्रक भी आवेदक के नाम से निष्पादित है जो कि वर्तमान समय में वैध है तथा वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेज भी वैध है। अतः विचार उपरांत सुपुर्दनामा आवेदन स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 28 Q 9988 के संबंध में ₹52,25,000 (अक्षरी बावन लाख पचीस हजार रूपये) का नियमानुसार सुपुर्दनामा बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 28 Q 9988 को निम्नलिखित शर्तों के साथ सुपुर्दगी में दिया जावे-

शर्तें-

1. आवेदक प्रकरण के निराकरण तक वाहन को किसी भी तरीके से अंतरण, हस्तांतरण या विक्रय नहीं करेगा।
2. आवेदक प्रकरण के निराकरण तक उक्त वाहन के स्वरूप., आकार--प्रकार को नहीं बदलेगा। और न ही रंग रोंगन करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

3. प्रकरण में न्यायालय के आदेश होने पर उक्त वाहन को अपने खर्चे पर स्वतः न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज वापस की जाकर पावती ली जावे।

आदेश पत्र की एक प्रति खनिज निरीक्षक बलौदाबाजार को केस डायरी के साथ संलग्न किये जाने हेतु मय केस डायरी प्रेषित की जाये।

आवेदन निराकृत परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/–

(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बलौदाबाजार, छ०ग०

प्रतिलिपि–

1) खनिज निरीक्षक कार्यालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बलौदाबाजार, छ०ग०

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय– अजय कुमार खाखा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार

जिला– बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग०

Criminal Case No.–80/2024

अनिल कुमार पिता राजकुमार गबेल, उम्र 29 वर्ष,
निवासी– केयर ऑफ प्रदीप कुमार गबेल भूवालपुर कवर्धा,
जिला – कबीरधाम, छ०ग०
स्थायी पता– ग्राम पंडोतरा, थाना फास्टरपुर,
जिला–मुंगेली, छ०ग० ....**आवेदक/सुपुर्ददार**

//विरूद्ध//

(छ.ग.)
6571 ... 6/3/24
प्रभारी लि.

छ०ग० शासन,

द्वारा–
खनिज निरीक्षक,
कार्यालय– बलौदाबाजार,
जिला– बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग० ....**अनावेदक**

// सुपुर्दनामा आदेश की सत्यप्रतिलिपि//

29.02.2024 आवेदक/सुपुर्ददार अनिल कुमार सहित श्रीमती लीना साहू अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी एवं सुपुर्दनामा आवेदन पर तर्क/आदेश हेतु नियत है।

आवेदक द्वारा सुपुर्दनामा में चाही गई वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 09 JQ 9988 का मूल आर.सी. बुक, बीमा पत्रक एवं परमीट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग० से जांच कार्यवाही के दस्तावेज मय प्रतिवेदन पेश किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

सुपुर्दनामा आवेदन में आवेदक /सुपुर्ददार ने इस आशय का आवेदन पेश किया गया है कि खनिज निरीक्षक बलौदाबाजार के द्वारा धारा 21 से 23–ख एवं छ०ग० गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत् उसके स्वामित्व की वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 09 JQ 9988 को जप्त किया गया है। यह कि उक्त वाहन उसके व्यवसायिक उपयोग की वाहन है जिसके थाना में खड़े रहने से उसके कलपूर्जों में जंग लगने से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने पर वह उसके स्वरूप पर कोई परिवर्तन नहीं करेगा। वह न्यायालय के शर्तों के अधीन उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर लेना चाहता है। अतः उसे उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से खनिज अधिकारी के द्वारा जांच कार्यवाही के दस्तावेज सहित प्रतिवेदन पेश करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदक के द्वारा उक्त वाहन से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान आवेदक के वाहन को पकड़कर कलेक्ट्रेट के समीप स्टेडियम परिसर बलौदाबाजार में सुरक्षार्थ रखा गया है। उसके उपरांत आवेदक के वाहन के विरूद्ध खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 से 23 (ख) के तहत् कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को अभिरक्षा में रखा गया है। कार्यवाही के दौरान आवेदक ने खनिज अधिकारी के समक्ष राजीनामा आवेदन पेश किया है। जिस पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर जप्त वाहन को छोड़ा जा सकता है। किन्तु कथित राजीनामा पेश किये जाने के बाद भी खनिज अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर यह सुपुर्दनामा आवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उपरोक्त आधार पर जप्त वाहन हाईवा ट्रक को सुपुर्दनामे पर नहीं दिये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का अवलोकन किया गया।

आवेदक/आरोपी के विरूद्ध वाहन हाईवा ट्रक से अवैध खनिज रेत के परिवहन का आरोप है। अपराध में प्रयोग की गई वाहन हाईवा ट्रक

Scanned with OKEN Scanner

मूल्यवान संपत्ति है। जिसे दिनांक 15.02.2024 से जप्त कर असुरक्षित हालत में कलेक्ट्रेट के समीप स्टेडियम परिषर बलौदाबाजार में रखा गया है। मशीनरी संपत्ति होने से यह स्वभाविक है कि बिना देखरेख मशीन के कलपुर्जों में खराबी आयेगी। जिससे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति होगी। यद्यपि अपराध में उक्त वाहन का प्रयोग किया गया है। पर मात्र इसी आधार पर संपत्ति के सुपुर्दनामे से इंकार किया जाना उचित नहीं है। खनिज विभाग को आवेदक/आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करना चाहिए। जिसके बाद सुनवाई उपरांत ऐसी वाहन के राजसात किये जाने पर विचार किया जायेगा। मामले की सुनवाई में विलंब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जप्त संपति को देखरेख के लिए शर्तों के अधीन उसके स्वामी के सुपुर्द किया जाना उचित होगा।

आवेदक द्वारा पेश आर०सी० बुक के अवलोकन से दर्शित है कि हाईवा ट्रक क्रमांक CG 09 JQ 9988 आवेदक अनिल कुमार पिता राजकुमार गबेल, निवासी- C/o प्रदीप कुमार गबेल, भुवालपुर, कवर्धा, कबीरधाम, छ०ग० 491559 के नाम पर पंजीकृत है। जिससे आवेदक अनिल कुमार प्रथम दृष्टया उक्त वाहन को पंजीकृत स्वामी होना स्पष्ट है। सुपुर्दनामा में चाही गई वाहन से संबंधित बीमा पत्रक भी आवेदक के नाम से निष्पादित है जो कि वर्तमान समय में वैध है तथा वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेज भी वैध है। अतः विचार उपरांत सुपुर्दनामा आवेदन स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 09 JQ 9988 के संबंध में ₹55,00,000 (अक्षरी पचपन लाख रूपये) का नियमानुसार सुपुर्दनामा बंधपत्र प्रस्तुत किये जाने पर तथासमझौता राशि ₹55,060 जमा किये जाने पर वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक CG 09 JQ 9988 को निम्नलिखित शर्तों के साथ सुपुर्दगी में दिया जावे-

शर्तें-

Scanned with OKEN Scanner

1. आवेदक प्रकरण के निराकरण तक वाहन को किसी भी तरीके से अंतरण, हस्तांतरण या विक्रय नहीं करेगा।
2. आवेदक प्रकरण के निराकरण तक उक्त वाहन के स्वरूप, आकार-प्रकार को नहीं बदलेगा और न ही रंग रोंगन करेगा।
3. प्रकरण में न्यायालय के आदेश होने पर उक्त वाहन को अपने खर्चे पर स्वतः न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज वापस की जाकर पावती ली जावे।

आदेश पत्र की एक प्रति खनिज निरीक्षक बलौदाबाजार को केस डायरी के साथ संलग्न किये जाने हेतु मय केस डायरी प्रेषित की जाये।

आवेदन निराकृत परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/-
(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बलौदाबाजार, छ०ग०

प्रतिलिपि-

1) खनिज निरीक्षक कार्यालय, बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार भाटापारा, छ०ग० की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार खाखा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बलौदाबाजार, छ०ग०

Scanned with OKEN Scanner